(शासनादेश सं. 87/11-6-14-एम(94)/2003 दिनांक 17 जनवरी, 2014 का संलग्नक)

संख्या–86 / 11–क0नि0–6–14–बीस.आर.(10) / 96

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 | लखनऊः दिनांक 17 जनवरी, 2014

विषयः प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने की नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4985 / प्र0क0–3 / वी0–08(2) / 2013–14, दिनांक 10.01.2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1053 / 11–क0नि0–6–13–बीस.आर.(10) / 96, दिनांक 13.06.2000 एवं तद्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–791 / 11–क0नि0–6–13–बीस.आर.(10) / 96 टी0सी0 दिनांक 16.04.2003 एवं शासनादेश संख्या–182 / 11–क0नि0–6–2005–बीस.–ई.(10) / 2004, दिनांक 17.02.2005 द्वारा निर्धारित नीति में करों की विसंगति एवं साम्यता के दृष्टिगत निम्नांकित आशय के संशोधन करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) शासनादेश संख्या–1053 / 11–क0नि0–6–13–बीस.आर.(10) / 96, दिनांक 13.06.2000 के साथ संलग्न नीति में विहित एक समय में करमुक्ति 12 प्रिन्ट चलाये जाने की शर्त को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिन्ट–वीक की करमुक्ति प्रदान की जायेगी, जिसका उपभोग 03 माह की समयसीमा के अधीन किया जाना होगा।

(2) इस सुविधा का उपभोग किसी फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिन्ट–वीक की करमुक्ति की उपरोक्त समयसीमा के अधीन इस प्रकार किया जा सकेगा कि करमुक्त प्रिन्ट की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणांक 200 प्रिन्ट / स्कीन वीक से अधिक नहीं होगा। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिन्ट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है, तो करमुक्ति एक सप्ताह के लिए होगी तथा यदि प्रिन्ट की संख्या को कम किया जाता है तो, उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी, किन्तु करमुक्ति की उक्त सीमा 200 प्रिन्ट–वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि 03 माह से अधिक नहीं होगी।

(3) शासनादेश संख्या–791 / 11–क0नि0–6–13–बीस.आर.(10) / 96 टी0सी0 दिनांक 16.04.2003 द्वारा प्रदेश में छायांकन के आधार पर दिनांक 31.03.2006 तक के लिए प्रभावी / अनुमन्य करमुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था सम्बन्धी अंश को समाप्त करते हुए शासनादेश संख्या–1053 / 11–क0नि0– 6–13–बीस.आर.(10) / 96, दिनांक–13.06.2000 में इस संदर्भ में की गयी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाता है।

उपर्युक्त शासनादशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

g:\go.docx

संख्या– 86 (1)/11–क0नि0–6–2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, फिल्म बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मा0राज्य मंत्री, मनोरंजन कर के निजी सचिव को मा0राज्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त/सूचना/संस्कृत/पर्यटन/शिक्षा को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

17/01/14

(पंकज यादव)
विशेष सचिव।

g:\go.docx